



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223060
CG-DL-E-17112020-223060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3568]
No. 3568]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

का.आ. 4051(अ)—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1567(अ) तारीख 21 मई 2020, जो भारत के राजपत्र तारीख 21 मई 2020 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में पारादीप हल्दीया-दुर्गापुर पाइपलाइन संबर्द्धन परियोजना हेतु अंचल- जमालपुर एवं मुंगेर जिला-मुंगेर राज्य-बिहार में पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 15 सितम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी और अरूण कुमार झा पटना, बिहार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है (और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुच्छेद

अंचल – मुंगेर		जिला – मुंगेर		राज्य - बिहार	
मौजा/ थाना नं.	सर्वे/ प्लॉट सं.	सब-डीव.सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
मिलकीचक थाना नं.-198	11		00	05	02
	10		00	04	49
	9		00	00	40
	8		00	00	56
	7		00	02	06
	6		00	01	72
	5		00	05	35
	4		00	03	23
	3		00	03	15
	2		00	05	89
	20		00	04	52
	19		00	09	23
	18		00	01	62
	17		00	02	03
	16		00	02	39
	15		00	02	62
अंचल- जमालपुर		जिला- मुंगेर		राज्य- बिहार	
बनौधि थाना नं.- 191	506		00	00	40
	505		00	16	21

मुस्तफाचक थाना नं.- 200	1		00	10	58
	2		00	22	29
	13		00	03	29
	14		00	03	35
	15		00	06	48
	17		00	02	79
	18		00	02	70
	27		00	07	26
साफियाबाद थाना नं.- 204	39		00	01	04
	40		00	09	90
	42		00	01	48
	272		00	01	73
	273		00	01	69
	274		00	02	20
	333		00	03	52
	335		00	02	30
	336		00	03	02
	338		00	23	05
	340		00	00	40
	370		00	22	18
	372		00	01	90
	371		00	07	31
	341		00	00	50
चननपुरा थाना नं.- 201	173		00	02	22
	171		00	14	41
	170		00	20	84
	167		00	03	22
	169		00	06	01
	129		00	01	33

चन्नपुरा थाना नं.- 201	166		00	06	86
	164		00	03	61
	163		00	04	88
	162		00	02	91
	161		00	03	04
	152		00	05	27
	151		00	10	49
	150		00	12	67
	149		00	01	56
	109		00	10	46
	143		00	04	58
	144		00	02	03
	142		00	02	11
	141		00	03	82
	140		00	00	40
	135		00	05	06
	118		00	00	40
	134		00	00	95
	133		00	03	02
	6		00	01	40
	130		00	03	45
	20		00	01	62
	19		00	00	40
	22		00	13	01
	21		00	00	81
	23		00	04	79
	24		00	00	40
	26		00	03	55

चन्नपुरा थाना नं.- 201	25		00	19	98
	44		00	01	11
	41		00	11	71
	40		00	08	14
	42		00	00	71
	43		00	03	33

[फा. सं. 11025(11)/ 235/2017-ओआर-I/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

S.O. 4051(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1567(E) dated 21st May, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 21st May, 2020 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying ‘ Proposed Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG Pipeline and its extension up to Patna and Muzaffarpur’ for the transportation of L.P.G Product in Circle- Munger & Jamalpur District. Munger in the State of Bihar by Indian Oil Corporation Limited; And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the Concerned land owner by 15th September 2020.

And whereas Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Patna (Bihar) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Encl. :- Schedule

SCHEDULE

Circle-Munger		Dist.-Munger		State.-Bihar	
Mouja / Thana No.	Survey / Plot No.	Sub-Div.-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Milki Chak Thana No.-198	11		00	05	02
	10		00	04	49
	9		00	00	40
	8		00	00	56

Milki Chak Thana No.-198	7		00	02	06
	6		00	01	72
	5		00	05	35
	4		00	03	23
	3		00	03	15
	2		00	05	89
	20		00	04	52
	19		00	09	23
	18		00	01	62
	17		00	02	03
	16		00	02	39
	15		00	02	62
Circle-Jamalpur	Dist.-Munger		State.-Bihar		
Banaudhi Thana No.-191	506		00	00	40
	505		00	16	21
Mustafachak Thana no. – 200	1		00	10	58
	2		00	22	29
	13		00	03	29
	14		00	03	35
	15		00	06	48
	17		00	02	79
	18		00	02	70
	27		00	07	26
Safiyabad Thana No.-204	39		00	01	04
	40		00	09	90
	42		00	01	48
	272		00	01	73
	273		00	01	69
	274		00	02	20
	333		00	03	52
	335		00	02	30
	336		00	03	02
	338		00	23	05
	340		00	00	40
	370		00	22	18
	372		00	01	90
	371		00	07	31
	341		00	00	50
Chananpura Thana No.-201	173		00	02	22
	171		00	14	41
	170		00	20	84
	167		00	03	22
	169		00	06	01
	129		00	01	33
	166		00	06	86
	164		00	03	61
	163		00	04	88
	162		00	02	91
	161		00	03	04
	152		00	05	27
	151		00	10	49

Chananpura Thana No.-201	150		00	12	67
	149		00	01	56
	109		00	10	46
	143		00	04	58
	144		00	02	03
	142		00	02	11
	141		00	03	82
	140		00	00	40
	135		00	05	06
	118		00	00	40
	134		00	00	95
	133		00	03	02
	6		00	01	40
	130		00	03	45
	20		00	01	62
	19		00	00	40
	22		00	13	01
	21		00	00	81
	23		00	04	79
	24		00	00	40
	26		00	03	55
	25		00	19	98
	44		00	01	11
	41		00	11	71
	40		00	08	14
	42		00	00	71
	43		00	03	33

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

का.आ. 4052(अ)—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2335(अ) तारीख 13 जुलाई, 2020, भारत के राजपत्र सं. 2061 तारीख 14 जुलाई, 2020, तथा अधिसूचना संख्या का.आ. 2243(अ), तारीख 07 जुलाई 2020, भारत के राजपत्र सं. 1982 तारीख 07 जुलाई, 2020 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में 'पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार' हेतु जिला बेगूसराय में एलपीजी के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 02, सितम्बर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला बेगुसराय			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बछवाड़ा	मरांची-40	871	00	11	96
		870	00	06	81
		877	00	22	58
मंसुर चक	गोबिन्दपुर- 28	1888	00	14	90
		1885	00	20	53
		1886	00	05	04

[फा. सं. आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-I/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

S.O. 4052(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 2335(E) Dated 13 July, 2020, published in the Gazette of the India Gazette No-2061 dated 14 July, 2020 and S.O. No. 2243(E) dated 07 July 2020 in Gazette of India No. 1982, dated 07 July, 2020 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 'Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG in Begusarai District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 02 September, 2020;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District : Begusarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bachhawara	Maranchi -40	871	00	11	96
		870	00	06	81
		877	00	22	58
Mansur chak	Govindpur- 28	1888	00	14	90
		1885	00	20	53
		1886	00	05	04

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

का.आ. 4053(अ)— केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि 'पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार' परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के अंचल- बरौनी एवं मंसुर चक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री भुवनेश्वर मिश्रा, से० नि० अपर सचिव बिहार सरकार व सक्षम प्राधिकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइंस डिविजन), बरौनी निर्माण कार्यालय, बी० के० पी० एल० मुख्यालय परिसर, पो० बरौनी आयल रिफ़ाइनरी, जिला बेगूसराय, पिन- 851114 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
जिला : बेगूसराय			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा/थाना नं०	सर्वे नं०/प्लॉट नं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टेर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बरौनी	पपरौर - 507	1174	00	07	27
		1170	00	16	66
बरौनी	देवनाह -535	57	00	02	44
		53	00	09	96
		40	00	07	26
		39	00	04	05
		37	00	03	32
		36	00	02	85
		35	00	01	68
		33	00	07	16
		32	00	05	25
		29	00	23	36
		5	00	20	83
		6	00	08	18
		7	00	08	47
		8	00	00	63
		15	00	08	37
		14	00	07	20
		52	00	00	46
बरौनी	माखोपुर-534	11	00	00	46
		1	00	05	71
बरौनी	देवनाह -533	1	00	02	85

बरौनी	देवनाह -533	2	00	02	24
		4	00	09	68
बरौनी	बथौली -511	631	00	00	42
		825	00	01	58
मंसुर चक	गोबिन्दपुर- 28	1410	00	02	55

[फा. सं. आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-I/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

S.O. 4053(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchals- Barauni and Mansurchak of Begusarai district in the State of Bihar for 'Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG Product;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipeline Division Barauni Construction Office, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114.

SCHEDULE

District : Begusarai			State: Bihar		
Anchal	Name of Mouza/Thana no	Survey No. / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barauni	Papraur- 507	1174	00	07	27
		1170	00	16	66
Barauni	Devnah- 535	57	00	02	44
		53	00	09	96
		40	00	07	26
		39	00	04	05
		37	00	03	32
		36	00	02	85
		35	00	01	68

		33	00	07	16
		32	00	05	25
		29	00	23	36
		5	00	20	83
		6	00	08	18
		7	00	08	47
		8	00	00	63
		15	00	08	37
		14	00	07	20
		52	00	00	46
Barauni	Makhopur- 534	11	00	00	46
		1	00	05	71
Barauni	Devnah- 533	1	00	02	85
		2	00	02	24
		4	00	09	68
Barauni	Bathauli- 511	631	00	00	42
		825	00	01	58
Mansur chak	Govindpur- 28	1410	00	02	55

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

का.आ. 4054(अ)—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3069(अ) तारीख 8 सितम्बर 2020] जो भारत के राजपत्र तारीख 9 सितम्बर 2020 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में पारादीप हल्दीया-दुर्गापुर पाइपलाइन संबर्द्धन परियोजना हेतु अंचल- अमरपुर] रजौन जिला- बाँका एवं अंचल-शहकुण्ड जिला- भागलपुर राज्य-बिहार में पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 15 सितम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी और अरूण कुमार झा पटना, बिहार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है (और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुच्छेद

अंचल- अमरपुर		जिला - बाँका		राज्य- बिहार	
मौजा/थाना नं.	सर्वे/ प्लॉट सं.	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
कठैल थाना नं.- 363	804		00	02	90
	800		00	01	12
	454		00	04	71
	378		00	03	08
	93		00	09	04
	92		00	02	13
	491		00	03	13
सुभानपुर थाना नं.- 378	2546		00	00	61
	1919		00	00	62
कोलखुर्द थाना नं.- 330	410		00	00	72
	384		00	01	25
कुसमाहा थाना नं.- 214	1112		00	01	77
	1123		00	04	64
नरायनपुर थाना नं.-343	98		00	09	8
	1067		00	01	69
	266		00	03	8
विशुनपुर कोल थाना नं.- 257	149		00	01	57
कोल बुजुर्ग थाना नं.- 258	1046		00	02	79
महादेवपुर थाना नं.- 256	1012		00	02	10
	166		00	02	02
घोघा थाना नं.- 356	304		00	04	02
विशुनपुर थाना नं.- 362	85		00	09	03
	310		00	06	81
कामदेवपुर थाना नं.- 251	784		00	02	56

गरीबपुर थाना नं.- 248	52		00	04	00
हेमराजपुर थाना नं.- 249	351		00	00	40
अंचल- रजौन		जिला - बाँका		राज्य- बिहार	
मौजा/थाना नं.	सर्वे/ प्लॉट सं.	सब-डीव-सं -	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
मझौनी थाना नं.-357	656		00	01	47
	657		00	02	43
चिलकौर थाना नं.- 361	188		00	12	97
	1362		00	07	72
	430		00	05	16
	1359		00	15	22
	1350		00	06	10
	1351		00	02	16
	1353		00	01	87
नयाडीह थाना नं.-577	5		00	16	92
	188		00	01	84
	193		00	01	30
	200		00	26	48
अंचल- शहकुण्ड		जिला - बाँका		राज्य- बिहार	
मौजा/थाना नं.	सर्वे/ प्लॉट सं.	सब-डीव-सं -	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
पुरानी खेरही थाना नं. - 169	551		00	07	68
	506		00	07	46
	507		00	02	62
	981		00	00	48
कसबा खेरही थाना नं.- 167	161		00	00	38

[फा. सं. आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-I/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

S.O. 4054(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3069 (E) dated 8th September, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 09th September, 2020 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the

Schedule appended to that notification for the purpose of laying ' Proposed Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG Pipeline and its extension up to Patna and Muzaffarpur' for the transportation of L.P.G Product in Circle- Amarpur, Rajaun District- Banka & Circle- Sahkund District- Bhagalpur in the State of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the Concerned land owner by 15th September 2020.

And whereas Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Patna (Bihar) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Circle- Amarpur		District - Banka		State - Bihar	
Mouza/Thana No	Survey / Plot No.	Sub-Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Kathel- 363	804		00	02	90
	800		00	01	12
	454		00	04	71
	378		00	03	08
	93		00	09	04
	92		00	02	13
	491		00	03	13
Subhanpur- 378	2546		00	00	61
	1919		00	00	62
Kol Khurd - 330	410		00	00	72
	384		00	01	25
Kushmaha - 214	1112		00	01	77
	1123		00	04	64
Narayanpur - 343	98		00	09	8
	1067		00	01	69
	266		00	03	8
Bishunpur Kol - 257	149		00	01	57
Kol Buzurg - 258	1046		00	02	79
Mahadeopur- 256	1012		00	02	10
	166		00	02	02
Ghogha - 356	304		00	04	02
Bishunpur - 362	85		00	09	03

	310		00	06	81
Kamdevpur - 251	784		00	02	56
Garibpur -248	52		00	04	00
Hemrajpur - 249	351		00	00	40
Circle - Rajaun		District - Banka		State - Bihar	
Mouza/Thana No	Survey / Plot No.	Sub-Div.No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Majhouni - 357	656		00	01	47
	657		00	02	43
Chilkour - 361	188		00	12	97
	1362		00	07	72
	430		00	05	16
	1359		00	15	22
	1350		00	06	10
	1351		00	02	16
	1353		00	01	87
Nayadih- 577	5		00	16	92
	188		00	01	84
	193		00	01	30
	200		00	26	48
Circle - Sahkund		District - Bhagalpur		State - Bihar	
Mouza/Thana No	Survey / Plot No.	Sub-Div.No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
Purani Kherhi - 169	551		00	07	68
	506		00	07	46
	507		00	02	62
	981		00	00	48
Kasba Kherhi - 167	161		00	00	38

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.